कोटा के सीवी गार्डन में 20 फीट ऊंचे पेड़ पर दिखा लैपर्ड, लोगों में दहशत

मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने पेड़ पर बैठे लैपर्ड को देखा तो पुलिस व वन विभाग को सूचना दी

कोटा, (निसं)। शहर के सीवी गार्डन में मंगलवार की सुबह अचानक उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों की नजर पेड़ पर बैठे एक लैपर्ड (तेंदुए) पर पड़ी। लैपर्ड को जमीन से करीब 20 फीट ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठा देख टहल रहे लोगों में चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीमों ने मोर्चा संभाला और आनन-फानन में पूरे पार्क को खाली कराकर सभी मुख्य दरवाजे बंद कर दिए। वन विभाग और नगर निगम की टीम ने हाइड्रोलिक दमकल की मदद से लैपर्ड को ट्रेंकुलाईज (बेहोश) किया और जाल बिछाकर सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। पकड़े गए लैपर्ड को अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क के नाईट शेल्टर में भेजा गया है, जहां से उच्च अधिकारियों की अनुमति के बाद उसे जंगल में छोड़ा जाएगा।

कोटा के सीवी गार्डन में तेंदुए की मौजूदगी से अफरा-तफरी मच गई।

उपवन संरक्षक प्रमोद कुमार धाकड़ का कहना है कि लैपर्ड पेड़ पर मौजूद था, ऐसे में उसको पिंजरे के जरिए या सीधे जाल में पकड़ना मुश्किल था। इसीलिए नगर निगम के अग्निशमन अनुभाग की मदद से दमकल को बुलवाया गया। हाइड्रोलिक दमकल को पैंथर जिस पेड़ पर मौजूद था, उसके नीचे गार्डन में खड़ा किया गया।

पहले लैपर्ड को ट्रेंकुलाईज करने वाले एक्सपर्ट ने गन से डॉट मारी थी। एक दो निशाने चूकने के बाद डॉट सटीक लग गई थी, जिसके बाद पैंथर बेहोश हो गया था। जिसके बाद वन विभाग के कार्मिकों ने लैपर्ड को पेड़ से नीचे जाल में गिराया गया और उसके बाद पिंजरे में कैद किया गया। पैंथर को अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क के नाईट शेल्टर में ले जाया जा रहा है, जहां पर रखा जाएगा। पैंथर को जंगल में रिलीज करने का निर्णय उच्च अधिकारी लेंगे इसके बाद उसे रिलीज किया जाएगा।

- **वन विभाग और नगर निगम की टीम ने हाइड्रोलिक दमकल की मदद से लैपर्ड को ट्रेंकुलाईज किया और जाल बिछाकर सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया**

रेंजर नागर ने बताया कि लैपर्ड की सूचना पर वे मौके पर पहुंच गए थे। साथ ही टीम को भी बुलाया गया। अभी यह पता नहीं लग पाया कि यह लैपर्ड कहां से और किधर से आया। सीवी गार्डन एक तरफ किशोर सागर तालाब से घिरा हुआ है और बाकी तीनों तरफ सड़क बनी हुई है। वन विभाग का उपवन संरक्षक कार्यालय भी इससे लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि लैपर्ड शिकार की तलाश में आया होगा क्योंकि गार्डन में बड़ी संख्या में बंदर भी रहते हैं।

भीलवाड़ा के उदलियास में 12 फीट लंबा अजगर पकड़ा

वन विभाग और रेस्क्यू टीम ने ग्रामीणों की मदद से अजगर को पकड़ा।

भीलवाड़ा, (निसं)। उदलियास कस्बे के बाग के बालाजी मंदिर के पीछे जंगल में सोमवार रात करीब 8:30 बजे 12 फीट लंबा विशाल अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। अजगर दिखने की खबर फैलते ही मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।

स्थानीय निवासी मुकेश जांगिड़ ने बताया कि मंदिर के पीछे झाड़ियों के बीच बने एक गड्ढे में ग्रामीणों को यह अजगर दिखाई दिया। अजगर का विशाल रूप देखकर ग्रामीण हैरान रह गए। इसके बाद तुरंत वन विभाग और रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम से राजू बैरवा और इरास टीम मौके पर पहुंची। गड्ढे और झाड़ियों में छिपे अजगर को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए टीम को करीब 2 घंटे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। रेस्क्यू के बाद अजगर को सुरक्षित वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया। रेस्क्यू टीम के राजू बैरवा ने बताया कि यह गंगा किनारे पाई जाने वाली पाइथन प्रजाति का अजगर है। इसमें जहर तो नहीं होता, लेकिन यह अपनी मजबूत पकड़ और नुकीले दांतों से किसी भी शिकार पर हमला कर उसे मार सकता है या निगल सकता है।

- **मंदिर के पीछे झाड़ियों के बीच बने गड्ढे में ग्रामीणों को अजगर दिखाई दिया**
- **रेस्क्यू के बाद टीम ने अजगर को सुरक्षित वन विभाग के सुपुर्द कर दिया**

मौके पर पिंटू सिंह, भैरू सिंह, देवी सिंह, मुकेश सुथार, राजू शर्मा, रायमल भील सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे। अजगर के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। रेस्क्यू टीम ने दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित निकाला।

अवधेश मीणा हत्याकांड का इनामी आरोपी जयपुर से गिरफ्तार

आरोपी जयपुर में रहकर ठिकाने बदल रहा था

वजीरपुर, (निसं)। सवाई माधोपुर जिले के चर्चित अवधेश मीणा हत्याकांड में करीब चार महीने से फरार चल रहे 10 हजार रुपए के इनामी आरोपी सुग्रीव मीणा (25) पुत्र घासीराम मीणा को पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार किया है। वारदात के बाद आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदलकर पुलिस से बच रहा था। पुलिस ने सटीक सूचना के आधार पर जयपुर में दबिश देकर उसे धर दबोचा।

जानकारी के अनुसार मामला गत 6 मई की रात का है। अमर सिंह अपने भाई सियाराम और अवधेश के साथ बाइक से गांव मीणा बड़ौदा लौट रहे थे। सेंगरपुरा रोड स्थित श्मशान घाट के पास घात लगाए बैठे बदमाशों ने 6-7 गाड़ियों में सवार होकर उन्हें घेर लिया। आरोपियों ने अवधेश पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने के साथ लाठी-सरियों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल अवधेश की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई थी।

- **21 सदस्यीय टीम ने दबिश देकर इनामी आरोपी सुग्रीव मीणा को पकड़ा**
- **गाड़ियों में आए बदमाशों ने अवधेश मीणा पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी**

एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी के निर्देशन में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 21 सदस्यीय विशेष टीम गठित की गई थी। पुलिस के अनुसार, सुग्रीव लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। टीम को उसकी जयपुर में मौजूदगी की सूचना मिली, जिसके बाद दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में पुलिस तीन आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वजीरपुर थानाधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है। हत्याकांड में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं।

खारी-मासी नदियों में अवैध बजरी खनन पर एनजीटी सख्त

अधिकरण ने संयुक्त समिति की जांच रिपोर्ट को स्वीकार कर मामले का निस्तारण किया

जयपुर। राजस्थान की खारी और मासी नदियों में कथित अवैध बजरी खनन और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण, मध्य क्षेत्र पीठ, भोपाल ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अधिकरण ने संयुक्त समिति की जांच रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए मामले का निस्तारण कर दिया। साथ ही संबंधित विभागों और खनन संचालक को पर्यावरणीय नियमों और स्वीकृति की शर्तों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

न्यायमूर्ति श्यो कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने 8 सितंबर को हबीब मोहम्मद बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य मामले में फैसला सुनाया। मामले में खारी और मासी नदियों में कथित अवैध और अनधिकृत बजरी खनन, नदी तल और सीमा चिन्हों को नुकसान पहुंचाने, सार्वजनिक रास्तों में अवरोध पैदा करने तथा भूजल, कृषि भूमि और स्थानीय पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव का मुद्दा उठाया गया था।

मामले की सुनवाई के दौरान अधिकरण ने राजस्व विभाग और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों को शामिल कर एक संयुक्त समिति गठित की थी। समिति ने 7 मई 2026 को खारी और मासी नदियों के विभिन्न स्थानों, बजरी परिवहन केंद्रों और खनन क्षेत्रों का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान हवा की गुणवत्ता, ध्वनि स्तर और भूजल की गुणवत्ता की भी जांच की गई। अधिकरण ने समिति की रिपोर्ट और उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद पाया कि संबंधित परियोजना संचालक के पास वैध पर्यावरणीय स्वीकृति के साथ स्थापना और संचालन की सहमति उपलब्ध है। निरीक्षण के दौरान खनन की गहराई भी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित सीमा के भीतर पाई गई।

- **संबंधित विभागों और खनन संचालक को पर्यावरणीय नियमों और स्वीकृति की शर्तों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए**

अधिकरण ने खान एवं भूविज्ञान विभाग को रेत और बजरी खनन से संबंधित निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। खनन और बजरी परिवहन का संचालन केवल पर्यावरणीय स्वीकृति में तय शर्तों के अनुसार ही किया जाएगा। अवैध खनन पर नियंत्रण के लिए गठित जिला स्तरीय समिति को नियमित रूप से अचानक निरीक्षण करने और आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर को समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। परियोजना संचालक को सार्वजनिक रास्तों को क्षतिग्रस्त या अवरुद्ध नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नियमों के अनुसार पौधरोपण और खनन क्षेत्र की सीमा का निर्धारण सुनिश्चित करना होगा।

खान विभाग को पौधरोपण के लिए भूमि उपलब्ध कराने तथा निर्धारित समय में पौधे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। लगाए गए पौधों की नियमित सिंचाई, सुरक्षा और उनके जीवित रहने की भी व्यवस्था करनी होगी। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की समय-समय पर निगरानी करने और किसी भी तरह का उल्लंघन मिलने पर कानून के अनुसार सुधारात्मक और दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों के साथ अधिकरण ने खारी और मासी नदियों में बजरी खनन से संबंधित मूल आवेदन संख्या 89/2026 का निस्तारण कर दिया।

फायरिंग के दो आरोपी गिरफ्तार

उदयपुर। शहर के सविना थाना पुलिस ने फायरिंग करने के मामले में गौगा गैंग इनामी दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। भागते समय दोनों बदमाश चोटिल हो गये। सविना थानाधिकारी दलबीरसिंह के नेतृत्व मय टीम ने कार्यवाही करते हुए दस-दस हजार रूपये के इनामी बदमाश उस्मान गनी पुत्र मोहम्मद इब्राहिम निवासी चित्रकूट नगर सविना मोहसीन गदनीया उर्फ काणा पुत्र आरिफ मोहममद निवासी मुर्शिद नगर हिरणमगरी सेक्टर 12 को गिरफ्तार किया। उस्मान के खिलाफ दों एवं मोहसीन के खिलाफ दो प्रकरण पूर्व में दर्ज हैं।

RAJASTHAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE

No. :- F.9( )SKNAU/DIR-RARI/Acctts/2026/1141 Dated :- 05/09/2026

विज्ञापन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस संस्थान में दिनांक 18.09.2026 को प्रातः 11:00 बजें कार्यालय / प्रयोगशाला में काम आये हुए अनुपयोगी उपकरण, कूलर, फीज, स्क्षेपालाईजर, एवरी कॉटे, ताले, बागवाने के उपकरण, प्रिन्टर, फोटोस्टेट मशीन, प्लास्टिक का सामान, लोहे का सामान, टर्च, दरी, टायर, फर्नीचर एवं अन्य सामान जिस हालात मे है, जैसे है कि नीलामी की जावेगी जिसका पुस्तक मूल्य लगभग 1,97,00,000 (अक्षरे एक करोड सतानवें लाख रूपये मात्र) है। विस्तृत विवरण हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.sknau.ac.in एवं www.raridurgapura.org पर देखे।

राज.संवाद/सी/26/10547 निदेशक

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

दिनांक :- 07/09/2026

ई-निविदा सूचना

निविदा संख्या एवं दिनांक	कार्य का विवरण
e-Tender no. RSMM/CO/GGM/(Cont)/Cont-20/2026-27 Dated 25.08.2026 UBN No. MML2627SLOB00111	कार्पोरेट कार्यालय, 4 मीरा मार्ग, उदयपुर पर कार्य करने हेतु उच्चकुशल / कुशल / अर्धकुशल / अकुशल प्रकृति के श्रमिकों की आवश्यकता हेतु ई-निविदा प्रपत्र कुल अनुमानित लागतः रू. 62.00 लाख, धरोहर राशिः रू. 1.24 / - निविदा शुल्क रू. 4720 / -

उपरोक्त निविदा की विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाईट www.rsmm.com, www.sppp.rajasthan.gov.in, www.eproc.rajasthan.gov.in अथवा वरिष्ठ प्रबन्धक (अनुबंध) से उपरोक्त पतें पर सम्पर्क करें।

राज.संवाद/सी/26/10542 उप महाप्रबन्धक (का.एवं प्रशा.)

कार्यालय नगर परिषद बारां

E-Mail : nagarpalikabaran@gmail.com स्टेशन रोड, बारां Phone : 07453-230106

क्रमांक :- नपबा / डोल मेला / 2026 / 6922-23 दिनांक :- 07.09.2026

EXPRESSION OF INTEREST

नगर परिषद बारां द्वारा प्रति वर्ष की भांति इस वर्श भी डोल मेला 2026 का दिनांक 22.09.2026 से दिनांक 08.10.2026 तक आयोजन किया जायेगा। वर्तमान मे नगरीय निकाय क्षैत्र मे आदर्श आंचार सहिंता लागू है, मेला आयोजन के लिए आवश्यक अभिव्यक्ति की अभिरूचि (EOI) जारी करने तथा डोल मेला आयोजन के लिए आवश्यक सभी कार्यवाही किये जाने हेतु श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

मेले मे सांस्कृतिक कार्यक्रम को आकर्षक बनाने हेतु डोल मेला 2026 मे आयोजित किय जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम / कवि सम्मेलन / मुशायरा कार्यक्रमो (यथा तेजाजी कार्यक्रम, Laughter show इत्यादि) हेतु फर्मो / इंवेट मेनेजमेन्ट कम्पनी / लोक कला मण्डलो इत्यादि से प्रस्ताव आमत्रित किये जाते है। प्रस्तुत प्रस्ताव मे दिये जाने वाले कार्यक्रमो का पूर्ण विवरण एवं पिछले किसी कार्यक्रम की विडियो-सीडी / पेन ड्राइव मे प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी।

प्रस्तावित डोल मेला 2026 के संभावित कार्यक्रम

क.स.	कार्यक्रम	तिथि	वार
1	तेजाजी कार्यक्रम	22.09.2026	मंगलवार
2	सांस्कृतिक कार्यक्रम	23.09.2026	बुधवार
3	स्थानीय कवि सम्मेलन एवं मुशायरा	24.09.2026	गुरूवार
4	सांस्कृतिक कार्यक्रम	25.09.2026	शुक्रवार
5	सांस्कृतिक कार्यक्रम	26.09.2026	शनिवार
6	सांस्कृतिक कार्यक्रम	27.09.2026	रविवार
7	सांस्कृतिक कार्यक्रम	28.09.2026	सोमवार
8	राजस्थानी कवि सम्मेलन	29.09.2026	मंगलवार
9	सांस्कृतिक कार्यक्रम	30.09.2026	बुधवार
10	अखिल भारतीय मुशायरा कार्यक्रम	01.10.2026	गुरूवार
11	सांस्कृतिक कार्यक्रम	02.10.2026	शुक्रवार
12	अखिल भारतीय कवि सम्मेलन	03.10.2026	शनिवार
13	कव्वाली कार्यक्रम	04.10.2026	रविवार
14	सांस्कृतिक कार्यक्रम	05.10.2026	सोमवार
15	भक्ति संध्या कार्यक्रम	06.10.2026	मंगलवार
16	सांस्कृतिक कार्यक्रम	07.10.2026	बुधवार
17	डोल मेला समापन कार्यक्रम	08.10.2026	गुरूवार

उक्तानुसार प्रस्ताव नगर परिषद बारां (राज.) कार्यालय मे किसी भी पिछले 03 वर्ष के डोल मेले मे प्रस्तुत किये गये कार्यक्रम की विडियो-सीडी / पेन ड्राइव के साथ प्रस्ताव को बन्द लिफाफे मे व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करे। दिनांक 11.09.2026 सांय 4:00 बजे तक प्रस्ताव प्राप्त किये जायेगे तथा सायं 05.00 बजे पश्चात् मेला समिति के समक्ष खोले जायेगे। मेला समिति द्वारा निर्णय पश्चात् ही अनुमोदन किया जायेगा। उक्त विज्ञप्ति एवं शर्ते वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in पर एवं नोटिस बोर्ड पर भी देखी जा सकती है। इस सम्बन्ध मे अधिक जानकारी हेतु नोडल मेला अधिकारी श्री विजय गालव कनिष्ट अभियन्ता से नगर परिशद मे कार्यालय समय पर सम्पर्क किया जा सकता है।

शर्ते :-

1. इंवेट मेनेजमेन्ट कम्पनी / फर्म / कलाकार / अन्य को नगर परिषद बारां द्वारा जारी पिछले कम से कम 05 वर्श के डोल मेले मे किये गये कार्यक्रम का आदेश की प्रति सलंग्न करना अनिवार्य होगा।
2. इंवेट मेनेजमेन्ट कम्पनी / फर्म / कलाकार / अन्य द्वारा प्रस्तुत दर / राशि मे सभी प्रकार के चार्जेज व कर सम्मिलित करने होगे। नगर परिषद बारां द्वारा किसी प्रकार के अतिरिक्त कर / शुल्क / परिवहन शुल्क इत्यादि का भुगतान नही किया जायेगा अतः समस्त व्यय / करो को जोडकर प्रस्ताव प्रस्तुत करे।
3. किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार मेला प्रबंधन प्रकोष्ठ / अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
4. इंवेट मेनेजमेन्ट कम्पनी / फर्म / कलाकार / अन्य आदि जिस नाम से प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी उसी नाम से भुगतान आरटीजीएस / एनएफटी / ऑनलाईन / चैक द्वारा टीडीएस काटकर कार्यक्रम समापन उपरान्त किया जाएगा, अतः तदनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव बैंक खाता संख्या, शाखा, IFSC कोड इत्यादि विवरण प्रस्तुत करें।
5. इंवेट मेनेजमेन्ट कम्पनी / फर्म / कलाकार / अन्य यह सुनिश्चित् करेंगे कि मेले मे प्रस्तुत किये जाने वाले कार्यक्रम मे सांस्कृतिक / लोक-कला / धार्मिक / सामाजिक / भक्ति आदि की भावना के अनुरूप ही शोभनीय / शालीनता पूर्वक प्रस्तुतियां देंगे। कोई भी कलाकार अश्लीलता / असभ्यता अथवा जनभावना को ठेस पहुंचाने वाले प्रस्तुतियां / कार्यक्रम नही देंगे। UBN-DLB2627SLOB20379

राज.संवाद / सी / 26 / 10531 आयुक्त

जमीन विवाद में गोली मारकर युवक की हत्या

हिण्डौन सिटी, (निसं)। सूरौठ थाना क्षेत्र के बाईजट्ट गांव निवासी युवक सेवाराम जांगिड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का शव बाई धुरसी से बाईजट्ट गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर पड़ा मिला। परिजनों ने जमीन विवाद और पुरानी रंजिश के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है।

मृतक के पिता जगदीश जांगिड़, निवासी बाईजट्ट ने सूरौठ थाने में दी गई रिपोर्ट में बताया कि 7 सितंबर को रात करीब 9 बजे वह और उनका पुत्र सेवाराम घर से खेतों की ओर जा रहे थे, जहां नया मकान बन रहा है। रास्ते में फकीरों की कब्र पीर के पास पहुंचने पर गांव के कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। धमकाने के बाद एक व्यक्ति ने आग्नेयास्त्र से फायर कर दिया। गोली सेवाराम की कनपटी पर लगी, वह गिर पड़ा और सिर से खून बहने लगा। जगदीश के चीखने-चिल्लाने पर गांव के लोग मौके पर पहुंचे। हमलावर पास के घरों में घुस गए। सेवाराम की मौके पर ही मौत हो गई। शव को हिण्डौन जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया।

- **मृतक का शव बाई धुरसी से बाईजट्ट गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर मिला**
- **परिजनों ने जमीन विवाद और पुरानी रंजिश के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कराया**

पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि आरोपियों से पूर्व में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। करीब एक माह पहले परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। परिजनों का आरोप है कि योजनाबद्ध तरीके से अपराधिक षड्यंत्र रचकर सेवाराम की हत्या की गई। सूचना पर सूरौठ पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को हिंडौन के जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मंगलवार को मेडिकल बोर्ड से मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

फैक्टरी में आग से लाखों का माल जला

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर के बोरानाडा क्षेत्र में मंगलवार सुबह करीब चार बजे एक पॉलीथिन रोल बनाने वाली फैक्टरी में अचानक आग लग गई। सूचना पर फायरब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद 8 दमकल के 20 फेरों से काबू पाया गया। इस पर बासनी, शास्त्री नगर, चौपासनी फायर ब्रिगेड की टीमों को भी बुलाया गया। करीब 200 लीटर फोम डालकर आग पर काबू पाया गया। सुबह 9 बजे के करीब आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सका।

आग लगने की सूचना मिलने के बाद चीफ फायर ऑफिसर जलज घसिया भी मौके पर पहुंचे। जिस फैक्टरी में आग लगी वहां फायर फाइटिंग सिस्टम भी नहीं लगा हुआ था, इसके चलते भी आग विकराल हो गई। हालांकि समय रहते आग बुझा लिए जाने से कोई बड़ी जनहानी टल गई। आग से फैक्टरी में लगा टीन शेड भी टूट गया। आग बुझाने वाली टीम में जसराज लीलावत, मालाराम, अशोक सुथार, कैलाश, प्रशांत सिंह, रणजीत, मोहनलाल, प्रकाश आदि शामिल रहे।। जानकारी के अनुसार जिस फैक्टरी में आग लगी वहां आग से बचाव के लिए कोई सुरक्षा उपकरण नहीं लगे हुए थे।

मसूदा में लावारिस खड़ी कार से 110 किलो डोडा-पोस्त बरामद

मसूदा, (निसं)। नगर निकाय चुनाव-2026 के मद्देनजर मसूदा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे गश्त एवं कानून व्यवस्था अभियान के दौरान पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने झाड़ियों में लावारिस हालत में खड़ी एक कार से 110 किलो 150 ग्राम अवैध अफीम डोडा-पोस्त डंठल बरामद किया। पुलिस ने मौके से मादक पदार्थ के अलावा घटना में प्रयुक्त कार तथा अलग-अलग पंजीयन नंबरों की 10 नंबर प्लेटें भी जब्त की हैं। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक ब्यावर रतन सिंह के निर्देशन में पुलिस थाना मसूदा के थानाधिकारी विजय सिंह मीना के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई।

दुर्घटनाग्रस्त हालत में मिली कार :-पुलिस के अनुसार 7 सितंबर को थानाधिकारी विजय सिंह मीना जाप्ते के साथ नगर निकाय चुनाव को देखते हुए गश्त एवं कानून व्यवस्था ड्यूटी पर थे। इसी दौरान मसूदा के पास जंगल में एक दुर्घटनाग्रस्त वाहन के लावारिस हालत में खड़े होने की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को मेडतिया पेट्रोल पंप से पूर्व गणपति इलेक्ट्रिक के पास वाली गली में झाड़ियों के बीच एक कार खड़ी मिली। कार का पिछला शीशा टूटा हुआ था। अंदर कुछ कट्टे दिखाई दे रहे थे, जिन पर काला कपड़ा डाल रखा था।

संदेह होने पर पुलिस ने वाहन की तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार में रखे आठ कट्टों से 110 किलो 150 ग्राम अवैध अफीम डोडा-पोस्त डंठल बरामद हुआ। पुलिस ने मादक पदार्थ को जब्त कर लिया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि कार किसकी है और इतनी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ कहां से लाया गया था तथा इसे कहां पहुंचाया जाना था।

अलवर जिला प्रमुख पर आचार संहिता में सरकारी वाहन इस्तेमाल करने का आरोप

अलवर, (निसं)। अलवर में पंचायती राज चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल का मामला सामने आया है। जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर पर करीब 11 दिन तक सरकारी वाहन इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं। शिकायत के बाद निर्वाचन विभाग ने जिला परिषद के सीईओ से मामले की रिपोर्ट मांगी है।

अलवर में पंचायती राज चुनाव की आचार संहिता के दौरान सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल का मामला सामने आने के बाद निर्वाचन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर पर आरोप है कि आचार संहिता लागू होने के बाद भी उन्होंने करीब 11 दिन तक जिला परिषद की सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया। शिकायत सामने आने के बाद निर्वाचन विभाग ने मामले का संज्ञान लेते हुए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) से पूरी रिपोर्ट मांगी है।

- **शिकायत के बाद निर्वाचन विभाग ने जिला परिषद के सीईओ से मामले की रिपोर्ट मांगी**

चुनाव की आचार संहिता 19 अगस्त को लागू हुई थी। आरोप है कि इसके बाद भी जिला प्रमुख को आवंटित सरकारी वाहन उनके उपयोग में रहा। बताया गया है कि यह सरकारी गाड़ी करीब 11 दिन तक इस्तेमाल की गई और बाद में 31 अगस्त को जिला परिषद कार्यालय में जमा कराई गई। अब निर्वाचन विभाग पूरे मामले में यह पता लगाने में जुटा है कि आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी वाहन का इस्तेमाल किन परिस्थितियों में किया गया।

आचार संहिता प्रभारी बीना महावर ने जिला परिषद के सीईओ को पत्र भेजकर मामले से जुड़ी जानकारी और रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि सरकारी वाहन के इस्तेमाल को लेकर नियमों का उल्लंघन हुआ या नहीं और आगे किस तरह की कार्रवाई की जानी है।

इसी बीच अलवर जिला परिषद में कार्यरत सहायक विकास अधिकारी ब्रजेश कुमार पटेल को लेकर भी निर्वाचन विभाग ने रिपोर्ट मांगी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की ओर से जिला कलैक्टर से इस मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई थी। इसके बाद निर्वाचन विभाग ने जिला परिषद के सीईओ से संबंधित अधिकारी के बारे में रिपोर्ट तलब की है।

शिकायतकर्ता नरेंद्र कुमार ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को भेजी शिकायत में आरोप लगाया है कि ब्रजेश कुमार पटेल वर्ष 2016 से लगातार जिला परिषद में पदस्थापित हैं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि उनका मूल निवास मालाखेड़ा क्षेत्र में है। शिकायतकर्ता ने लंबे समय से एक ही जिले में पदस्थापित रहने को लेकर सवाल उठाते हुए आशंका जताई है कि पंचायती राज चुनाव में संबंधित अधिकारी किसी तरह से चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं।

168 किलो डोडा-चूरा बरामद, एक आरोपी गिरफ्त में

कोटा, (निसं)। प्रदेश में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी व तस्करों की धरपकड़ के लिये केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने सूचना पर कार्रवाई करते हुए ट्रक में तलाशी के दौरान अवैध मादक पदार्थ 168.680 किलोग्राम डोडा-चूरा बरामद किया। वहीं टीम ने ट्रक को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया है।

केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के उप नारकोटिक्स आयुक्त ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि हरियाणा पंजीकरण संख्या वाला एक ट्रक लाडपुरा क्षेत्र से पंजाब की ओर अवैध डोडा-चूरा ले जा रहा है। सूचना पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) कोटा के अधिकारियों की टीम गठित की गई और टीम को मौके पर रवाना किया गया। गठित टीम ने मौके पर पहुंचकर निगरानी के दौरान संदिग्ध ट्रक की पहचान की तथा उसे सकतपुरा टोल प्लाजा, कोटा पर रोक लिया गया। उप नारकोटिक्स आयुक्त ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ट्रक में सोयाबीन के छिलकों को कवर कार्गो के रूप में रखा हुआ पाया गया, टीम ने संदेह होने पर ट्रक में मौजूद व्यक्ति को डिटेन कर ट्रक को सीबीएन कार्यालय लाकर ट्रक की तलाशी ली तो कवर कार्गो के पीछे छिपाकर रखे गए अवैध मादक पदार्थ डोडा-चूरा के करीब सात कट्टे बरामद किये जिसमें 168.680 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया। टीम ने कानूनी औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत बरामद अवैध मादक पदार्थ व ट्रक को जप्त किया।